

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, तरुणमित्र न्यूज़, आज, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि 15.02.2025


वीडीए ने ध्वस्त कराई तीन बीघे की अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडोए ने कटेसर में तीन बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। रामनगर वार्ड के कटेसर मुगलसराय में अज्ञात की ओर से बगैर ले आउट स्वीकृत कराए तीन बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे वीडोए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश ने पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया। वीडोए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील की कि वीडोए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। ब्यूरो

तरुणमित्र न्यूज़—दि 15.02.2025


वीडीए की टीम ने अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

तरुणमित्र न्यूज़ वाराणसी। वीडोए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया। वार्ड-रामनगर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा-कटेसर, थाना - मुगलसराय में लगभग 3 बीघा की अवैध प्लॉटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी छ उक्त अवैध प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग



से प्लॉटिंग ध्वस्त किया गया इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। वीडोए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज-दि० 15.02.2025

दो निर्माणाधीन भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर गुरुवार को भेलूपुर वार्ड के गौरीगंज क्षेत्र में भवन संख्या बी १५/६६ में निवास कर रहे आशुतोष उपाध्याय ने बीना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार वार्ड सिकरौल के अन्तर्गत इंग्लिया लाइन के समीप चर्च कम्पाउंड के समीप बीना मानचित्र स्वीकृत के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि और जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता आर्दश निराला ने निर्माणाधीन हो रहे भवनों का सील करते हुए संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया।

न्यायाधीश-दि० 15.02.2025

वीडीए जोन-5 द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा गयी। वार्ड- रामनगर के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अज्ञात द्वारा मौजा- कटेसर, वाराणसी विकास प्राधिकरण थाना - मुगलसराय में लगभग वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन 03 बीघा की अवैध प्लाटिंग बिना टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के ले -आउट पास कराये अवैध विरुद्ध ध्वस्तीकरण की प्लाटिंग विकशित की जा रही कार्यवाही सम्पादित की थी। उक्त अवैध प्लाटिंग को आज

14.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी


राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 15.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-5
की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग
के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही
वाराणसी। वार्ड- रामनगर
के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा-
कटेसर, थाना - मुगलसराय में
लगभग 03 बीघा की अवैध
प्लॉटिंग बिना ले-आउट पास
कराये अवैध प्लॉटिंग विकशित
की जा रही थी द्य उक्त अवैध
प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं
पुलिस बल के सहयोग से
प्लॉटिंग ध्वस्त किया गया। मौके
पर जोनल अधिकारी सिंह
गौरव जय प्रकाश, अवर
अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन
दल सहित समस्त सुपरवाइजर
व पुलिस बल उपस्थित
रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम
जन मानस से अपील की गयी
है कि वाराणसी विकास
प्राधिकरण से ले-आउट
स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा
मानचित्र स्वीकृत कराये बिना
किसी भी प्रकार का निर्माण
कार्य न करें अन्यथा की स्थिति
में प्राधिकरण द्वारा सख्त
कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002


Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जागरूक एक्सप्रेस-दि० 15.02.2025

मुगलसराय में वीडिए ने ध्वस्त की अवैध प्लॉटिंग

जिला संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को मुगलसराय के कटेसर में बिना ले आउट के 60 बिस्वा में की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। प्लॉटिंग करने वालों ने प्लॉट काटने को बाद जो बाउंड्री कराई थी, वीडिए के प्रवर्तन दल ने उसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। वीडिए ने कटेसर में प्लॉटिंग



खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। रोहनिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को वीडिए ने 140 बिस्वा पर हो रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया था। प्लॉट की साइज से हिसाब से जो प्लॉट बिकता है, जमीन मालिक को उसका हिस्सा मिल जाता है। वीडिए से

करने वालों के बारे में पता लगाया लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई कि प्लॉटिंग करने वाले कौन है। वीडिए की प्रवर्तन टीम ने लाउड हेल्मर के माध्यम से चेतावनी दी कि वीडिए से बिना ले आउट पास कराए प्लॉटिंग करने पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

शहर के बाहरी इलाकों में बस रही अवैध कालोनियां- वाराणसी में इन दिनों शहरी क्षेत्र के सटे ग्रामीण इलाको में किसानों की जमीन एग्रीमेंट कराकर जमीन की

नक्शा, लेआउट पास कराए बिना बड़ी जमीनों का एग्रीमेंट कराकर पब्लिक को ऊंचे दामों पर बेचकर निकल जाते हैं।

मेहनत की कमाई से खरीदी जमीन पर लोग अपना आशियाना बनाने के सपने देखते हैं, इस बीच वीडिए का बुलडोजर पहुंचता है और उनके जमीनों की बाउंड्री ध्वज करके चला जाता है। अब जमीन का धंधा करने वाले अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और परेशान होते हैं जमा पूंजी इकट्ठा कर प्लॉट खरीदने वाले।

